पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) सेवा पखवाड़ा 27 जून से 9 जुलाई 2016 तक

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में जागरूकता पैदा करने और अभिदाता सेवाओं में सुधार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्वाइंट आॅफ प्रजेेस (पीओपी), केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी सहित, एनपीएस की सभी संस्थाओं/मध्यवर्तियों द्वारा 27 जून से 9 जुलाई तक देशभर में एनपीएस सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इस पखवाड़े का उद्देश्य अभिदाता पंजीकरण के साथ-साथ जागरूकता पैदा करना, सेवा अनुकूलन और सूचना का प्रसार करना है।

2. निजी और असंगठित सेक्टर के लोगों के लिए एनपीएस की सुविधा मई 2009 से उपलब्ध है। वर्तमान में, एपीवाई और एनपीएस के अभिदाताओं को मिलाकर अभिदाताओं की संख्या 120,000 करोड़ रूपये से अधिक की प्रबंधन की आस्ति के साथ 12 करोड़ 86 लाख हो गई है। निजी सेक्टर में काफी प्रबल संभावनाएं हैं जिन्हंे तलाशने की जरूरत है।

3. वित्तीय विश्लेषकों और बाजार सूचना एजेंसियों द्वारा किये गये नमूना सर्वेक्षण के खुलासा किया है कि बाजार मंे एनपीएस विशिष्ट कर लाभ से युक्त एक सुनियोजित और कम लागत वाला पेंशन उत्पाद है जिसका विपणन और वितरण प्वांइट आॅफ प्रजेन्स द्वारा किया जाता है जो कि एनपीएस प्रणाली और अभिदाताओं के मध्य मध्यस्थ का काम करता है और जिसे अभिदाता पंजीकरण और सेवाओं की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में एनपीएस प्रणाली में अब तक 55,500 से अधिक शाखाओं के साथ 72 पीओपी (जिनमें बैंक, गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियां और लघु वित्त संस्थान शामिल हैं।) पंजीकृ्त है। एनपीएस पखवाड़े के दौरान पीओपी को अपनी सभी पंजीकृत पीओपी सेवा प्रदाताओं को अभिदाता संकलन और सेवाओं में शामिल करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, पखवाड़े के दौरान पीओपी/पीओपी-सेवाप्रदाताओं को निम्न गतिविधियांे की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है –

- एनपीएस प्रचार सामग्री यथा- पोस्टर, बैनर, फ्लायर, ब्रोचर इत्यादि का प्रदर्शन और संभावित अभिदाताओं के बीच उनका वितरण करना

- अभिदाताओं को संव्यवहार विवरणिका (एसओटी) उपलब्ध कराना
- प्रान में अभिदाता के सम्पर्क विवरण यथा मोबाईल नम्बर, ईमेल आई डी, आवासीय पते, जन्म-तिथि इत्यादि को अपडेट करना
- प्रान में नामिति विवरण को अपडेट करना
- लम्बित एनपीएस अंशदानों का संकलन और बंद पड़े खातों को फिर से चालू करना
- अभिदाता की शिकायतों का निवारण करना और उन्हें सीजीएमएस पर प्रदर्शित करना

पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के साथ परस्पर क्रिया कलाप मे शामिल पीओपी और केन्द्र /राज्य सरकार के डीडीओ के प्रशिक्षण देने के लिए एक एजेंसी को नियुक्त किया है और एजेंसी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पीओपी-एसपी/आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीआ)े से कम से कम व्यक्ति का नाम देने को कहा है। इन प्रशिक्षण सत्रों को पीओपी/डीडीओ द्वारा प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराये गये प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा। एनपीएस संरचना में एक वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 75,000 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की योजना है।

एनपीएस सेवा पखवाड़े के सफल आयोजन के लिए एनपीएस न्यास और सीआए (एनएसडीएल) पीओपी सेवा प्रदाताओं को अपेक्षित सभी प्रकार की सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करायेगा।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक 23.06.2016